[2021] 13 S.C.R.940

ब्रैगेड एंटरप्राइज लिमिटेड

बनाम

अनिल कुमार विरमानी और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 1779)

17 दिसंबर, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: एस. 35 (1) (सी): प्रतिनिधि सूट-अपीलार्थी-बिल्डर ने निर्माण के लिए परियोजना का शुभारंभ किया

आवासीय परिसर, जिसमें एम्बर ब्लॉक, ब्लू ब्लॉक और क्रिमसन ब्लॉक नामक तीन ब्लॉकों में 1134 इकाइयाँ शामिल हैं-91 व्यक्ति जो

51 आवासीय अपार्टमेंट खरीदे, एक आवासीय परिसर में एक साथ जुड़े और राष्ट्रीय स्तर पर एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अपीलार्थी द्वारा कब्जा सौंपने में देरी के आधार पर मुआवजे की मांग करेगा

उपभोक्ता शिकायत के साथ एक आवेदन दिया गया था

एस के तहत आवेदन। 35 (1) (ग)-उक्त आवेदन को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने तत्काल अपील दायर की-आयोजित: एस. 35 (1) (सी) एक या अधिक उपभोक्ताओं को, जहां समान हित रखने वाले कई उपभोक्ता हैं, आयोग की अनुमति से, सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। रुचि-s को लागू करने के लिए साइन क्वा नॉन। 35 (1) (ग) यह है कि जिन सभी उपभोक्ताओं की ओर से या जिनके लाभ के लिए प्रावधान लागू किया गया है, उनका समान ब्याज होना चाहिए - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 (11) आर. आई. आर. के प्रावधान करती है। 8 सीपीसी का

उन मामलों में लागू होता है जहां शिकायतकर्ता एक उपभोक्ता है जिसे संदर्भित किया गया है

एस में। 2 (5) (v)-- आर. आई. आर. के तहत स्पष्टीकरण। 8 ब्याज की समानता को कार्रवाई के कारण की समानता से अलग करता है-क्योंकि या. आई. आर. के तहत आवेदन के लिए "ब्याज की समानता" पूर्व शर्त है। 8 , सी. पी. सी. एस. के साथ पढ़ा जाता है। 35 (1) (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, उत्तरदाताओं के लिए उपभोक्ता में शामिल करना आवश्यक था।

शिकायत, पर्याप्त कथन जो ब्याज की समानता दिखाएंगे

निर्मित आवासीय आवासों की कुल संख्या 1134 थी।

लेकिन अंबर ब्लॉक के 386 अपार्टमेंटों के संबंध में कोई दलील नहीं थी, शेष 748 के मालिकों के संबंध में भी।

ब्लू ब्लॉक और क्रिमसन ब्लॉक में आवासीय अपार्टमेंट,

हो सकता है कि अपार्टमेंट ने कार्रवाई के कारण को जन्म दिया हो बिल्डर पर मुकदमा करने के लिए फ्लैटों के व्यक्तिगत खरीदार-लेकिन इसकी समानता

कार्रवाई का कारण ब्याज की समानता के बराबर नहीं है-अवधि

परियोजना के पूरा होने और कब्जा सौंपने में देरी

सभी 1134 मामलों में भी एक समान नहीं प्रतीत होता है-उत्तरदाता

खरीदारों के लिए ब्याज की समानता का अनुमान नहीं लगा सकते हैं-इसलिए,

राष्ट्रीय आयोग को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी

उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत को एक संयुक्त शिकायत के रूप में माना जाएगा और 1134 की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत नहीं

खरीदार।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - एस. 35 (1) (सी)-एस. का आह्वान करने के लिए-साइन क्वा नॉन की व्याख्या। 35 (1) (ग) यह है कि सभी उपभोक्ता

जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए प्रावधान लागू किया जाता है,

एक ही रुचि है-दिलचस्प बात है, एस. 35 (1) (सी) शब्दों के दो समूहों के बीच "या" विच्छेदन का उपयोग करता है, अर्थात्, (i) "की ओर से"; और (ii) "के लाभ के लिए"-एस के तहत दायर एक शिकायत। 35 (1) (ग) समान ब्याज वाले सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए हो सकता है। 8 , सी. पी. सी., एस के विपरीत। 35 (1) (ग) दोनों तरीकों से काम करता है और इसमें दो-तरफा यातायात के लिए प्रावधान हैं-यह न केवल वादी को प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा करने की अनुमति देता है, बल्कि अनुमति भी देता है।

लोगों पर मुकदमा चलाया जाना है और एक कार्रवाई में उनका बचाव किया जाना है, एक प्रतिनिधि क्षमता में-क्योंकि "हित की समानता" पूर्व है

आर. आई. आर. के तहत आवेदन के लिए आवश्यक। 8 , सी. पी. सी. एस. के साथ पढ़ा जाता है। 35 (1) (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के लिए यह आवश्यक था कि उत्तरदाताओं को उपभोक्ता शिकायत में शामिल करने के लिए, पर्याप्त

अभिकथन जो रुचि की समानता दिखाएंगे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: एस. 35 (1) (सी)-ब्याज की समानता-परियोजना के पूरा होने में देरी की अवधि और कब्जा सौंपना, सभी में एक समान प्रतीत नहीं होता है

1134 मामले-शिकायतकर्ता ब्याज की समानता पेश नहीं कर सकते हैं।

उन खरीदारों के लिए जिनके मामले में देरी की अवधि नगण्य थी और जिनके मामलों में भारी देरी हुई थी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,

2019 – 1986 अधिनियम या धाराओं की धारा 12 (1) (ग)। 35 (1) (ग) 2019 अधिनियम-एस के तहत आवेदन की अनुमति देने के लिए। 12 (1) ((ग) 1986 के अधिनियम या

एस। 35 (1) (ग) 2019 अधिनियम की दलीलों और राहतों पर विचार किया जाना है-यदि इस पर विचार किया जाए, तो राष्ट्रीय आयोग ऐसा नहीं कर सकता था। इस मामले में प्रत्यर्थियों को सभी 1134 फ्लैटों के मालिकों के लिए और उनकी ओर से प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी गई।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: धारा 2 (5) (i), एस. 36 (1)

की व्याख्या-उपभोक्ता-यह सच है कि एस। 2 (5) (i) "एक उपभोक्ता" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है-यदि स्वर "ए" और शब्द "उपभोक्ता" एस में दिखाई देता है। 2 (5) (i) एक से अधिक व्यक्तियों को बाहर रखने के लिए समझा जाना चाहिए, इसके परिणामस्वरूप विनाशकारी परिणाम होंगे। एस को पढ़ते हुए। 2 (5) (vi) - धारा 2 (5) (vi) में कहा गया है कि उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, "उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि" होगा -

शिकायतकर्ता जब तक कि "कानूनी उत्तराधिकारी" और "कानूनी" शब्द न हों

" उपभोक्ता "में बहुवचन शामिल नहीं होगा-s की व्याख्या करने का उचित तरीका। 35 (1) एस के साथ पढ़ें। 2 (5) , यह कहना होगा कि शिकायत दर्ज की जा सकती है: (i) एकल उपभोक्ता द्वारा; (ii) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा; (iii) एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से, अन्य उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किए बिना उनकी अपनी शिकायतों का निवारण, जिनका समान हित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है; (iv) एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए।

उपभोक्ता; और (v) केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. इस तथ्य को देखते हुए कि अंबर ब्लॉक में अपार्टमेंट के मालिकों में से कोई भी फाइलिंग में शामिल नहीं हुआ है

शिकायत, इस तथ्य के साथ कि एम्बर ब्लॉक के संबंध में परियोजना की समय-सीमा के संबंध में कोई अभिवचन नहीं है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड v.

अनिल कुमार विरमानी और ओआरएस।

उत्तरदाताओं द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत को अंबर ब्लॉक में 386 अपार्टमेंट के मालिकों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। उत्तरदाताओं को या तो शिकायतकर्ताओं में से एक के रूप में, अंबर ब्लॉक में एक अपार्टमेंट के मालिक को शामिल करना चाहिए था या कम से कम अंबर ब्लॉक को पूरा करने के लिए समय सीमा के बारे में अभिवचन में आवश्यक कथन करना चाहिए था, शिकायत करने के लिए, तीनों ब्लॉकों में फ्लैटों के मालिकों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में दायर की गई थी। आइए अब कम से कम देखें कि क्या ब्लू ब्लॉक में फ्लैटों के मालिकों की ओर से शिकायत प्रतिनिधि क्षमता में बनाए रखने योग्य थी और

अधिनियम की धारा 35 (1) (सी) की आवश्यकताओं के आलोक में क्रिमसन ब्लॉक। [पैरा 13] [953-ई-जी]

2. धारा 35 (1) (सी) एक या अधिक उपभोक्ताओं को सक्षम बनाती है, जहां समान रुचि रखने वाले कई उपभोक्ता हैं,

इस प्रकार इच्छुक सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए जिला आयोग की अनुमति। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 35 (1) (सी) को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि सभी उपभोक्ता जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए

जो प्रावधान लागू किया गया है, उसका ब्याज समान होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि धारा 35 (1) (सी) में शब्दों के दो सेटों के बीच "या" का उपयोग किया गया है, अर्थात्, (i) "की ओर से"।

इसलिए, धारा 35 (1) (सी) के तहत दायर की गई शिकायत या तो समान ब्याज वाले सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए हो सकती है। [पैरा 14,15] [953-जी-एच; 954-ए-सी]

3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 (11) पहली अनुसूची के आदेश I नियम 8 के प्रावधानों को

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 उन मामलों में लागू होती है जहां शिकायतकर्ता धारा 2 (5) (v) में संदर्भित उपभोक्ता है, जो 'शिकायतकर्ता' को एक या अधिक उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित करता है, जहां समान ब्याज वाले कई उपभोक्ता हैं। आदेश I नियम 8, सी. पी. सी., धारा 35 (1) (सी) के विपरीत दोनों तरीकों से काम करता है और इसमें दो-तरफा यातायात के प्रावधान हैं। यह न केवल वादी को प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा करने की अनुमति देता है, बल्कि लोगों पर मुकदमा करने और प्रतिनिधि क्षमता में कार्रवाई में बचाव करने की भी अनुमति देता है। [पारस 16,17] [954-डी-ई]

4. आदेश I नियम 8 के तहत स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। यह एक सूट में समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों को [2021] 13 एस. सी. आर. से अलग करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्रवाई के समान कारण वाले व्यक्ति। समानता स्थापित करने के लिए

ब्याज के लिए, कार्रवाई के कारण की समानता स्थापित करना आवश्यक नहीं है। आदेश I नियम 8 के तहत स्पष्टीकरण, आदेश I के नियम 1 और 3 के प्रावधानों का एक आवश्यक सहवर्ती है। आदेश I नियम 1, सी. पी. सी., कई व्यक्तियों को वादी के रूप में एक मुकदमे में शामिल होने की अनुमति देता है। आदेश I, नियम 3 कई व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में एक मुकदमे में शामिल होने की अनुमति देता है। लेकिन आदेश I नियम 1 या आदेश I नियम 3 के तहत आने के लिए, राहत का अधिकार उसी अधिनियम या लेनदेन से उत्पन्न होना चाहिए या उसके संबंध में होना चाहिए जो कथित रूप से ऐसे व्यक्तियों में संयुक्त रूप से, अलग-अलग या वैकल्पिक रूप से मौजूद है। कुछ हद तक, आदेश I के नियम 1 और 3 कार्रवाई के कारण की समानता पर आधारित हैं। यही कारण है कि आदेश I नियम 8 के तहत स्पष्टीकरण

ब्याज की समानता को कार्य के कारण की समानता से अलग करता है। [पारस 19,20] [956-ई-जी]

5. चूँकि "ब्याज की समानता" एक के लिए पूर्व-आवश्यकता है

उत्तरदाताओं को उपभोक्ता शिकायत में शामिल करने के लिए, पर्याप्त कथन जो ब्याज की समानता दिखाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है कि लगभग 20 खंडों (एम्बर और ब्लू खंडों में 7-7 खंड और क्रिमसन खंड में 6 खंड) वाले तीन खंडों में निर्मित आवासीय अपार्टमेंटों की कुल संख्या थी। 1134. जहाँ तक अंबर ब्लॉक के 7 खंडों में 386 आवासीय अपार्टमेंटों के खरीदारों का संबंध है, कोई

दलील नहीं है। ब्लू ब्लॉक और क्रिमसन ब्लॉक में शेष 748 आवासीय अपार्टमेंट के मालिकों के संबंध में भी, शिकायत में ब्याज की समानता के बारे में कोई विशिष्ट कथन नहीं है। आवासीय अपार्टमेंटों का कब्जा सौंपने में देरी ने बिल्डर पर मुकदमा करने के लिए फ्लैटों के व्यक्तिगत खरीदारों के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है। लेकिन कार्रवाई के कारण की समानता ब्याज की समानता के बराबर नहीं है। रुचि की समानता का अस्तित्व रहा है

अपीलार्थी-बिल्डर द्वारा इस आधार पर पूछताछ की गई कि समझौतों में निर्धारित मुआवजे में देरी की पेशकश खरीदारों को की गई थी और उनमें से कुछ ने बिना किसी विरोध या विरोध के इसे स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ अन्य ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उपभोक्ता शिकायत से यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे (i) जिन्होंने विरोध के तहत मुआवजे को स्वीकार किया है; (ii) वे ब्रैगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड v।

अनिल कुमार विरमानी और ओआरएस।

जिन्होंने बिना विरोध के स्वीकार किया; और (iii) जिन्होंने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उनके पास ब्याज की समानता है। [पैरा 21] [956 एच; 957-ए-डी]

6. परियोजना के पूरा होने और कब्जा सौंपने में देरी की अवधि, में समान प्रतीत नहीं होती है सभी 1134 मामले। उत्तरदाता-शिकायतकर्ता उन खरीदारों के लिए ब्याज की समानता पेश नहीं कर सकते हैं जिनके मामले में देरी की अवधि नगण्य थी और जिनके मामलों में भारी देरी हुई थी। कब्जा सौंपने में देरी आवश्यक रूप से सेवा में एकमात्र कमी नहीं है

अपीलार्थी-बिल्डर। फ्लैटों के कुछ खरीदारों को अन्य शिकायतें भी हो सकती हैं और अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने का उनका अधिकार हो सकता है। धारा 35 (1) (सी) का आह्वान करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता है। कि कुछ खरीदारों ने कर्नाटक से संपर्क करने का विकल्प चुना है

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को उजागर करने से पता चलता है कि सभी 1134 खरीदारों का हित उत्तरदाताओं के समान नहीं है। कम से कम अगर उत्तरदाताओं ने उन सभी फ्लैटों के खरीदारों के नाम दिए हों, जिनकी ओर से वर्तमान शिकायत पर विचार किया जा सकता था, तो बेहतर होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। [पारस

22 , 23] [957 - ई-एच]

अध्यक्ष, तमिलनाडु आवास बोर्ड, मद्रास बनाम। टी. एन. गणपति (1990) 1 एससीसी 608: [1990] 1 एस. सी. आर. 272; अध्यक्ष, तमिलनाडु आवास बोर्ड, मद्रास बनाम। टी. एन. गणपति और विक्रांत सिंह मलिक और अन्य। वी. सुपरटेक लिमिटेड और अन्य। (2020) 9 एस. सी. सी. 145; रामेश्वर प्रसाद

श्रीवास्तव और अन्य। वी. द्वारकाधीश की निजी परियोजनाएं

लिमिटेड और ओआरएस। (2019) 2 एससीसी 417 [2018] 14 एससीआर

1118 ; अंजुम हुसैन और ओआरएस। वी. बुद्धिमत्ता व्यवसाय

पार्क प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। (2019) 6 एससीसी 519:

[2019] 7 एस. सी. आर. 1036-संदर्भित।

राहत पर विचार किया जाना चाहिए। यदि इस पर विचार किया जाता, तो राष्ट्रीय आयोग को अनुमति नहीं दी जा सकती थी इस मामले में उत्तरदाताओं को सभी 1134 फ्लैटों के मालिकों के लिए और उनकी ओर से प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज करनी होगी। [पैरा 29] [959-सी-डी] [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि जहां भी एक से अधिक उपभोक्ता हैं, उन्हें केवल इसका सहारा लेना चाहिए

आदेश I नियम 8 सी. पी. सी., भले ही शिकायत मामले में रुचि रखने वाले सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए न हो। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां केवल "कुछ उपभोक्ताओं" और "कई उपभोक्ताओं" की समान रुचि हो। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन कुछ उपभोक्ताओं को एक साथ जुड़ने और संयुक्त शिकायत दर्ज करने से रोक सके। एक संयुक्त शिकायत एक प्रतिनिधि क्षमता में दायर की गई शिकायत के विपरीत है। धारा 35 (1) (सी) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत कई लोगों की ओर से या उनके लाभ के लिए होनी चाहिए। समान रुचि रखने वाले उपभोक्ता। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां समान रुचि रखने वाले बहुत कम उपभोक्ता हैं, वे एक साथ शामिल नहीं हो सकते हैं और एक भी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल स्वतंत्र और अलग-अलग शिकायतों का सहारा लेना चाहिए। [पैरा 34] [961-बी-डी]

9. यह सच है कि धारा 2 (5) (i) में "ए" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

उपभोक्ता "। यदि धारा 2 (5) (i) में दिखाई देने वाले स्वर "ए" और "उपभोक्ता" शब्द को एक से अधिक व्यक्तियों को बाहर करने के लिए समझा जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पढ़ने के दौरान विनाशकारी परिणाम होंगे।

धारा 2 (5) (vi)। धारा 2 (5) (vi) में कहा गया है कि उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, "उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि" होगा - शिकायतकर्ता। जब तक "कानूनी उत्तराधिकारी" और "कानूनी प्रतिनिधि" शब्दों का अर्थ "कानूनी उत्तराधिकारी" और "कानूनी प्रतिनिधि" नहीं समझा जाता है, तब तक प्रावधान का एक सार्थक अध्ययन नहीं हो सकता है। [पैरा 35] [961-ई-एफ]

10. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 (2) के तहत एकवचन में शब्दों में बहुवचन और सभी में इसके विपरीत शब्द शामिल होंगे।

केंद्रीय अधिनियम और विनियम, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो। हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (5) या 35 (1) (सी) या 38 (11) के विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय नहीं पढ़ सकते हैं। एकवचन, अर्थात्, "उपभोक्ता" में बहुवचन शामिल नहीं होगा। [पैरा 36] [961-एफ-जी]

11. धारा 35 (1) की व्याख्या करने का उचित तरीका

धारा 2 (5) में कहा गया है कि शिकायत दर्ज की जा सकती है: ((i) एकल उपभोक्ता द्वारा; (ii) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा; (iii) एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से, BRIGADE ENTERPRISES LIMITED के निवारण की मांग करना।

अनिल कुमार विरमानी और ओआरएस।

अन्य उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किए बिना उनकी अपनी शिकायतें, जिनका समान हित हो या न हो; (iv) कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा; और (v) केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण। [पैरा 38] [962-सी-डी]

12. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान हैं -

सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुप्रयोग को बाहर करें। यद्यपि धारा 38 की उप-धाराएँ (9), (11) और (12) सिविल प्रक्रिया संहिता के केवल कुछ प्रावधानों के लिए विशिष्ट संदर्भ देती हैं, आदेश I नियम 1 के पीछे का सिद्धांत जो एक से अधिक व्यक्तियों को वादी के रूप में मुकदमे में शामिल होने में सक्षम बनाता है, स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया है। इसलिए, जबकि राष्ट्रीय आयोग इस मामले में गलत था,

आदेश I नियम 8 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 35 (1) (सी) के तहत, इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत स्वयं उत्तरदायी है। बाहर फेंकने के लिए। उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत को एक संयुक्त शिकायत के रूप में माना जा सकता है न कि एक शिकायत के रूप में।

1134 खरीदारों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता। [पारस 39,40] [962-डी-जी]

मामला कानून संदर्भ

[1990] 1 एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

(2020) 9 एससीसी 145

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2018] 14 एससीआर 1118

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2019] 7 एससीआर 1036

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1779

2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 05.04.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने 2020 के उपभोक्ता मामले संख्या 880 में 2020 के आई. ए. संख्या 7350 में कहा।

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मयंक मिश्रा, सर्वेश सिंह बघेल,

सुश्री ऐश्वर्या चंद्र, अमन चौधरी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

[2021] 13

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गोविंद जी, कृष्ण कुमार सिंह, ओमानकुट्टन के. के., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवादों के आदेश को चुनौती देना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 (1) (सी) के तहत पारित निवारण आयोग ने उनके द्वारा विकसित आवासीय परिसर में 51 अपार्टमेंटों के 91 खरीदारों को प्रतिनिधि क्षमता में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी है।

लगभग 1000 खरीदार, बिल्डर उपरोक्त अपील के साथ आया है।

2. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण, श्री अजीत कुमार सिन्हा को सुना है। प्रतिवादी और श्री ओमानकुट्टन के. के., हस्तक्षेप करने वालों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

3. लगभग 1134 अपार्टमेंट वाले आवासीय परिसर में 51 आवासीय अपार्टमेंट खरीदने वाले लगभग 91 व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया।

इसमें अपीलार्थी ने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली की फाइल पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता शिकायत के साथ एक आवेदन भी था धारा 35 (1) (सी) के तहत, राष्ट्रीय आयोग से मामले पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगना, लाभ के लिए और उसकी ओर से, नहीं

केवल 91 आवेदकों में से, लेकिन कई अन्य उपभोक्ताओं में से जिन्होंने एक ही परिसर में अपार्टमेंट खरीदे हैं। दूसरे शब्दों में उन आवेदकों द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत, जो इसमें प्रतिवादी हैं, एक वर्ग कार्रवाई है और उनके द्वारा मांगी गई अनुमति एक अनुमति की प्रकृति में थी जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I नियम 8 के संदर्भ में सिविल कोर्ट द्वारा दी जा सकती थी।

4. हालाँकि बिल्डर, जो यहाँ अपीलकर्ता है, ने धारा 35 (1) (सी) के तहत आवेदन पर आपत्ति जताई, राष्ट्रीय आयोग ने अध्यक्ष, तमिलनाडु आवास बोर्ड, मद्रास बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया। टी. एन. गणपति 1 और

अम्बरीश कुमार शुक्ला बनाम फेरस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मामले में राष्ट्रीय आयोग का निर्णय। लिमिटेड उक्त आदेश से व्यथित होकर, बिल्डर उपरोक्त अपील लेकर आया है।

1 1 (1990) 1 एस. सी. सी. 608 ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड v. अनिल कुमार

विरमानी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

5. अपीलार्थी-बिल्डर की मुख्य शिकायत, जैसा कि प्रस्तावित किया गया है

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण का कहना है कि उनके द्वारा निर्मित और बेचे गए कुल 1134 अपार्टमेंटों में से केवल 51 अपार्टमेंटों के मालिक एक साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र को लागू किया है और इतना कम प्रतिशत उपभोक्ता प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील का यह भी तर्क है कि हित या शिकायत की कोई समानता नहीं थी, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत अपार्टमेंट मालिकों ने अपनी अलग और विशिष्ट शिकायतों के निवारण की मांग करते हुए कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अधिकार क्षेत्र का भी आह्वान किया है।

6. तथापि, प्रत्यर्थियों/मूल शिकायतकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा का तर्क है कि अध्यक्ष, तमिलनाडु आवास बोर्ड, मद्रास बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। टी. एन. गणपति और विक्रांत सिंह मलिक और अन्य। बनाम सुपरटेक लिमिटेड और Ors.[2] यह भी उनका तर्क है कि उत्तरदाताओं में समानता है। सभी 1134 आवासों के खरीदारों के लिए ब्याज, जो कि धारा 35 (1) (सी) के तहत एक आवेदन बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और इसलिए, राष्ट्रीय आयोग आवेदन को अनुमति देने में सही था।

7. इससे पहले कि हम वैधानिक प्रावधानों के विशिष्ट संदर्भ के साथ प्रतिद्वंद्वी दलीलों के विश्लेषण में उतरें, यह देखना आवश्यक है कि उत्तरदाताओं द्वारा अपनी उपभोक्ता शिकायत में जिन राहतों के लिए अनुरोध किया गया था और जिन दलीलों के आधार पर राहत मांगी गई थी। उत्तरदाताओं द्वारा अपनी उपभोक्ता शिकायत में पूरे आवासीय परिसर में सभी फ्लैटों के खरीदारों के लाभ के लिए और उनकी ओर से मांगी गई राहत इस प्रकार है:

" कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और

ये परिस्थितियाँ माननीय आयोग की कृपा से हो सकती हैं

आदेश पारित करने और ओपी को निर्देश देने के लिए प्रसन्न:

आई. ओ. पी. को प्रत्येक शिकायतकर्ता और प्रत्येक खरीदार को समान ब्याज विलंब मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दें, जैसा कि बिक्री और निर्माण समझौतों में निर्धारित किया गया है, उपभोक्ता शिकायत के पैरा 46 में बताए गए "देरी की कुल अवधि" में से अवैतनिक अवधि के लिए;

2 (2020) 9 एससीसी 145 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओ. पी. को प्रत्येक शिकायतकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दें और

ii.

समान ब्याज वाले प्रत्येक खरीदार को, निर्माण में असामान्य और अत्यधिक देरी के लिए भुगतान की गई व्यक्तिगत प्रतिफल राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रतिपूरक ब्याज, शिकायतकर्ताओं को फ्लैटों का कब्जा सौंपने तक, पैरा में बताए अनुसार देरी की कुल अवधि की गणना करते हुए।

46 उपभोक्ता की शिकायत;

शिकायतकर्ताओं को शिकायत की पुरस्कार लागत; और /

iii.

या

किसी भी अन्य और/या आगे की राहत को पारित करें, जो इस माननीय

iv.

आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में शिकायतकर्ताओं के पक्ष में उचित और उचित समझता है।

और ओपी के खिलाफ "।

8. जिन अभिवचनों के आधार पर उत्तरदाताओं ने उपरोक्त प्रार्थनाओं की मांग की, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं: (i) कि अपीलार्थी ने वर्ष 2013 में विषय परियोजना शुरू की; (ii) कि परियोजना की शैली इस प्रकार है -

" 'ब्रिगेड लेकफ्रंट' में तीन में लगभग 1100 इकाइयाँ शामिल होनी थीं।

30.06.2016 छह महीने की छूट अवधि के साथ; (v) कि हालांकि पूर्णता प्रमाण पत्र और संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र भी जारी किए गए थे ब्लू ब्लॉक में इमारतों के लिए सलाहकार/वास्तुकार 3.05.2017 पर, अधिभोग प्रमाण पत्र आंशिक रूप से 28.12.2018 पर जारी किया गया था और

शेष राशि के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र 25.06.2019 पर जारी किया गया था; (vi)

कि क्रिमसन ब्लॉक में इमारतों के संबंध में, वादा की गई डिलीवरी की तारीख छह महीने की अनुग्रह अवधि के साथ 31.01.2018 थी; (vii) कि हालांकि क्रिमसन ब्लॉक के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र द्वारा जारी किया गया था

10.08.2018 पर वास्तुकार, अधिभोग प्रमाण पत्र आंशिक रूप से जारी किया गया था

(viii) कि बिल्डर अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी था, क्योंकि समझौते के नियमों और शर्तों में खरीदारों को 5 रुपये प्रति वर्ग फुट का मामूली मुआवजा निर्धारित किया गया था, यदि परियोजना को पूरा करने में देरी हुई थी, जबकि खरीदारों पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष का दंडात्मक ब्याज लगाया गया था। जब भी वे चूक करते हैं या भुगतान करने में देरी करते हैं; (ix) कि BRIGADE ENTERPRISES LIMITED की ओर से देरी के कारण।

अनिल कुमार

विरमानी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

कब्जा सौंपने में अपीलकर्ता, खरीदारों को नुकसान हुआ

9. उपभोक्ता शिकायत में निहित उपरोक्त कथनों से यह देखा जा सकता है कि बिल्डर की ओर से कब्जा सौंपने में देरी, प्राथमिक आधार था जिसके आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा मुआवजे की मांग की गई थी। हम मूल शिकायत में की गई प्रार्थनाओं को पहले ही निकाल चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिकायत के प्रार्थना भाग में सभी 1134 आवासीय के सभी खरीदारों के लिए और उनकी ओर से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उत्तरदाताओं द्वारा मांगी गई मुआवजे की कुल राशि की मात्रा नहीं है। अपार्टमेंट। शिकायत का प्रार्थना भाग अनुच्छेद 46 को संदर्भित करता है।

शिकायत का, विलंब मुआवजे की गणना के उद्देश्य से। लेकिन शिकायत का अनुच्छेद 46 इसके अलावा कोई अर्थ नहीं बताता है।

यदि अनुच्छेद 45 के साथ ध्यान में रखा जाए। इसलिए, शिकायत के पैराग्राफ 45 और 46 को निम्नानुसार निकाला गया है:

" 45. "विलंब की कुल अवधि" की गणना -

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि देरी की कुल अवधि

निम्नलिखित रूप में गणना की गई:

विलम्ब अवधि प्रारंभ-अधिकार की प्रतिश्रुत तिथि, नहीं

अनुग्रह अवधि पर विचार करते हुए; और

विलंब अवधि समाप्ति-निम्नलिखित दो तिथियों में से कोई भी आधारित हो।

व्यक्तिगत शिकायतकर्ताओं के तथ्यों के बारे में:

ए। जहाँ जारी करने से पहले कब्जा ले लिया गया था

अधिभोग प्रमाणपत्र, अधिभोग प्रमाणपत्र की तिथि; या

बी। जहाँ जारी किए जाने के बाद कब्जा ले लिया गया था

अधिभोग प्रमाण पत्र, फिर कब्जे की तारीख;

यह बताना प्रासंगिक होगा कि इस पैरा में शिकायतकर्ताओं द्वारा बताए गए 'कब्ज़े' के अर्थ और प्रकृति का अर्थ केवल कानूनी कब्ज़ा होगा जहां कहा गया कब्ज़ा दिया गया था या कब्जे के लिए फ्लैट की तैयारी की पुष्टि पर देने की पेशकश की गई थी।

निर्माण समझौता।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. यह स्पष्ट और स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया गया है कि खरीदार बिक्री विलेख को निष्पादित करके कब्जा प्राप्त करेंगे और उसी को पंजीकृत करना। वास्तविक कब्जा और बिक्री विलेख पंजीकरण दोनों को एक साथ किया जाना चाहिए।

निर्माण के लिए समझौते के खंडों के साथ। इसलिए,

बिक्री विलेख को पंजीकृत और निष्पादित किए बिना कब्जा या

इसके विपरीत खरीदारों को हुई देरी की गणना करने के उद्देश्य से एक साथ "कब्ज़ा" नहीं माना जाता है। यदि दोनों आयोजन अलग-अलग समय पर किए जाते हैं, तो दोनों की बाद की तारीख प्रबल होगी। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि

आवासीय परियोजना, अधिभोग के अनुदान की तारीख दी गई है

प्रमाण पत्र को यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण घटना माना जाएगा कि

कब्जा करने में देरी और मुआवजे की गणना आधारित उस पर "।

10. पैराग्राफ 45 और 46 में एक मौन स्वीकारोक्ति है कि फ्लैटों का कब्जा सौंपने में देरी की अवधि खरीदार से खरीदार में भिन्न हो सकती है। सभी 1134 आवासों के खरीदारों के संबंध में खरीदार। यही कारण है कि प्रत्यर्थियों ने पैराग्राफ 45 में बताए गए सूत्रों के आधार पर प्रत्येक मामले के संबंध में देरी की गणना करने के लिए आयोग से अनुरोध किया है।

11. हालाँकि, उपभोक्ता शिकायत के पैराग्राफ 41 में कम से कम 91 शिकायतकर्ताओं के रूप में शिकायत का मूल्यांकन शामिल है।

जिन्होंने संयुक्त रूप से उपभोक्ता शिकायत दर्ज की है, वे चिंतित हैं। शिकायत के पैराग्राफ 41 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

" यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर पुनः प्रस्तुत समझौते की शर्तों के अनुसार, ओ. पी. अल्प विलंब मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

से रु. 5 / - प्रति वर्ग मीटर। फीट। प्रति माह बिक्री योग्य क्षेत्र का, जो बिक्री पर विचार के लगभग 0.1 प्रतिशत प्रति वर्ष पर आता है, या

कम होता है। इसके विपरीत, खरीदारों के चूक या किश्त का भुगतान करने में देरी के मामले में ओ. पी. द्वारा लगाया जाने वाला जुर्माना प्रति वर्ष 18 प्रतिशत है। यह स्पष्ट है कि उन खरीदारों के खिलाफ प्रदर्शन का संतुलन 180 गुना से अधिक है जो परियोजना के पूर्ण कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रहे हैं।

ओपीएस। खरीदार न केवल धैर्यपूर्वक कब्जे की प्रतीक्षा कर रहा है

लेकिन सभी भुगतान करने के लिए एक दोहरी मार भी मिलती है

संपत्ति का आनंद लिए बिना किश्तें। शिकायतकर्ताओं की कुल संख्या में से जिन्होंने इस तत्काल शिकायत में इस माननीय मंच से संपर्क करना पसंद किया है, कुल मूल्य BRIGADE ENTERPRISES LIMITED v.

अनिल कुमार

विरमानी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

51 शिकायतकर्ता-अकेले खरीदारों के लिए बिक्री का मूल्य लगभग रु। 66 करोड़ जबकि ओपी द्वारा वितरित कुल राशि इसलिए

वही खरीदार, विलंब मुआवजे के नाम पर एक अल्प राशि है, रुपये से कम। 10 लाख जो पूरे के लिए लगभग 0.1% है।

2 वर्ष से अधिक की देरी।

12. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज करना चाहिए, अर्थात्, उत्तरदाताओं-शिकायतकर्ताओं के अनुसार भी, परियोजना में तीन ब्लॉक अर्थात् एम्बर ब्लॉक, ब्लू ब्लॉक और क्रिमसन ब्लॉक शामिल थे। एम्बर ब्लॉक में 386 के साथ सात पंख होने थे। अपार्टमेंट। ऐसा प्रतीत होता है कि अंबर ब्लॉक में इन 386 अपार्टमेंटों के मालिकों में से कोई भी उत्तरदाताओं-शिकायतकर्ताओं के साथ

शामिल नहीं हुआ है। यही कारण है कि परियोजना के पूरा होने में देरी के बारे में पूरी चर्चा, उपभोक्ता शिकायत के पैराग्राफ 14 में पाई गई घटनाओं की समयरेखा के संदर्भ में, केवल ब्लू ब्लॉक और क्रिमसन ब्लॉक को संदर्भित करती है। अपीलार्थी ने मूल शिकायत के लिए अपने काउंटर में एक सारणी दी है, जिसमें कहा गया है कि ब्लू ब्लॉक में 412 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से केवल 47 अपार्टमेंट के मालिक शिकायत दर्ज करने में शामिल हुए हैं और क्रिमसन ब्लॉक में 336 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से केवल 4 अपार्टमेंट के मालिक शिकायत में शामिल हुए हैं।

13. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपार्टमेंट का कोई भी मालिक नहीं है

एम्बर ब्लॉक में शिकायत दर्ज करने में शामिल हुए हैं, इस तथ्य के साथ कि एम्बर ब्लॉक के संबंध में परियोजना की समय सीमा के संबंध में कोई अभिवचन नहीं है, उत्तरदाताओं द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत को एम्बर ब्लॉक में 386 अपार्टमेंट के मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जा सकता है। उत्तरदाताओं को या तो शिकायतकर्ताओं में से एक के रूप में, अंबर ब्लॉक में एक अपार्टमेंट के मालिक को शामिल करना चाहिए था या कम से कम अंबर ब्लॉक को पूरा करने के लिए समय सीमा के बारे में अभिवचन में आवश्यक कथन करना चाहिए था, शिकायत करने के लिए, तीनों ब्लॉकों में फ्लैटों के मालिकों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में दायर की गई थी। आइए अब कम से कम देखें कि ब्लू ब्लॉक और क्रिमसन ब्लॉक में फ्लैटों के मालिकों की ओर से शिकायत प्रतिनिधि क्षमता में बनाए रखने योग्य थी या नहीं।

अधिनियम की धारा 35 (1) (सी)।

14. धारा 35 (1) (सी) एक या अधिक उपभोक्ताओं को अनुमति देती है, जहां समान ब्याज वाले कई उपभोक्ता हैं।

जिला आयोग की ओर से या सभी इच्छुक उपभोक्ताओं के लाभ के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 35 (1) (सी) को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि सभी उपभोक्ता [2021] 13 एस. सी. आर. पर हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए प्रावधान लागू किया गया है, उसका समान ब्याज होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि धारा 35 (1) (सी) में शब्दों के दो समूहों के बीच 'या' के विच्छेदन का उपयोग किया गया है, अर्थात्, (i) 'की ओर से' और (ii) 'के लाभ के लिए'। धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (सी) निम्नानुसार है:

" एक या अधिक उपभोक्ता, जहां सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए जिला आयोग की अनुमति से समान ब्याज वाले कई उपभोक्ता हैं।

इतनी दिलचस्पी है "।

15. इसलिए, धारा 35 (1) (सी) के तहत दायर की गई शिकायत या तो "की ओर से" या "सभी उपभोक्ताओं के लाभ के लिए" हो सकती है।

एक ही रुचि।

16. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 (11) उपभोक्ता संरक्षण संहिता की पहली अनुसूची के आदेश I नियम 8 के प्रावधान करती है।

एक ही रुचि। 17. आदेश I नियम 8, सी. पी. सी., धारा 35 (1) (सी) के विपरीत दोनों तरीकों से काम करता है और इसमें दो-तरफा यातायात के प्रावधान हैं। यह न केवल अनुमति देता है

वादी प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा करता है लेकिन लोगों पर मुकदमा करने और प्रतिनिधि क्षमता में एक कार्रवाई में बचाव करने की भी अनुमति देता है।

आदेश I नियम 8 इस प्रकार है:

" 8. एक व्यक्ति समान हित में सभी की ओर से मुकदमा कर सकता है या बचाव कर सकता है। — (1) जहाँ बहुत से लोग हैं एक
सूट में एक ही ब्याज,

(क) ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, या इस तरह के इच्छुक सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके लाभ के लिए ऐसे मुकदमे का बचाव कर सकते हैं;

(ख) न्यायालय निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, या उनकी ओर से ऐसे मुकदमे का बचाव कर सकते हैं।

या सभी इच्छुक व्यक्तियों के लाभ के लिए।

(2) न्यायालय, प्रत्येक मामले में जहां अनुमति या

उप-नियम (1) के तहत वादी के खर्च पर निर्देश दिया जाता है, सभी व्यक्तियों को मुकदमे की संस्था की सूचना दें ताकि

इच्छुक, या तो व्यक्तिगत सेवा द्वारा, या, जहां, BRIGADE ENTERPRISES LIMITED के कारण।

अनिल कुमार विरमानी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

व्यक्तियों की संख्या या कोई अन्य कारण, ऐसी सेवा नहीं है

न्यायालय के रूप में सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा उचित रूप से व्यवहार्य

प्रत्येक मामले में निर्देश दिया जा सकता है। (3) कोई भी व्यक्ति जिसकी ओर से, या जिसके लाभ के लिए, एक मुकदमा

उप-नियम (1) के तहत स्थापित या संरक्षित किया गया है, यह लागू हो सकता है

न्यायालय को ऐसे वाद में पक्षकार बनाया जाएगा।

(4) ऐसे किसी भी मुकदमे में दावे का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा जाएगा।

उपनियम (1) के अधीन ऐसा कोई वाद वापस नहीं लिया जाएगा।

आदेश XXIII के नियम 1 का उप-नियम (3), और कोई समझौता नहीं,

ऐसे किसी भी मुकदमे में समझौता या संतुष्टि दर्ज की जाएगी। उस आदेश के नियम 3 के तहत, जब तक कि न्यायालय ने नहीं दिया है

वादी का खर्च, इसमें रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस

मुकदमा या बचाव में उचित परिश्रम के साथ आगे नहीं बढ़ता है, न्यायालय उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है जिसके पास

सूट में समान रुचि।

(6) इस नियम के तहत एक मुकदमे में पारित एक डिक्री बाध्यकारी होगी।

उन सभी व्यक्तियों पर, जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए मुकदमा दायर किया गया है।

जैसा भी मामला हो, स्थापित या बचाव किया जाता है।

18. सरल शब्दों में, सी. पी. सी. के प्रथम नियम 8 में निहित शर्तों की मुख्य विशेषताओं का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

((i)

जहाँ समान रुचि रखने वाले कई लोग हैं

एक मुकदमे में, ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, उसकी ओर से या लाभ के लिए मुकदमा कर सकते हैं।

इतनी रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए;

जहाँ समान रुचि रखने वाले कई लोग हैं

((ख)

एक मुकदमे में, ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है या एक या अधिक ऐसे व्यक्ति सभी इच्छुक व्यक्तियों की ओर से या उनके लाभ के लिए ऐसे मुकदमे का बचाव कर सकते हैं;

((ग) न्यायालय स्वयं वादियों या प्रतिवादियों के बिना हो सकता है।

आदेश I नियम 8 (1) (ए) के तहत किसी भी अनुमति की मांग करते हुए, निर्देश दें कि एक या अधिक ऐसे व्यक्ति मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है या सभी व्यक्तियों की ओर से और उनके लाभ के लिए मुकदमे का बचाव कर सकते हैं

इच्छुक;

((iv) व्यक्तिगत सेवा या सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा इस तरह की रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को मुकदमा शुरू करने की सूचना का आदेश न्यायालय द्वारा दोनों श्रेणियों के मामलों में दिया जाना चाहिए, अर्थात्: -

जहां व्यक्तियों के आवेदन पर न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाती है या निर्देश स्वयं न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है; (v) कोई भी व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए मुकदमा दायर किया गया है या बचाव किया गया है, वह पक्षकार बनने की कोशिश कर सकता है।

सूट;

(vi) दावे के पूरे या हिस्से का परित्याग, मुकदमे को वापस लेना या किसी समझौते की रिकॉर्डिंग, समझौता।

या न्यायालय द्वारा संतुष्टि की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि मामले में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत सेवा या सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा नोटिस जारी नहीं किया जाता है।

(vii) न्यायालय किसी भी समय प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा करने या बचाव करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है, यदि पूर्व मुकदमा या बचाव का मुकदमा नहीं चला रहा था।

उचित परिश्रम के साथ।

((viii) इस नियम के अंतर्गत आने वाले वाद में पारित डिक्री होगी -

सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी।

19. आदेश I नियम 8 के तहत स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। यह एक मुकदमे में समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों को कार्रवाई के समान कारण वाले व्यक्तियों से अलग करता है। रुचि की समानता स्थापित करने के लिए, कार्रवाई के कारण की समानता स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

20. आदेश I नियम 8 के तहत स्पष्टीकरण आवश्यक है।

आदेश I. आदेश I नियम 1, सी. पी. सी. के नियम 1 और 3 के प्रावधानों के अनुरूप, कई व्यक्तियों को वादी के रूप में एक मुकदमे में शामिल होने की अनुमति देता है।

आदेश I, नियम 3 कई व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में एक मुकदमे में शामिल होने की अनुमति देता है। लेकिन आदेश I नियम 1 या आदेश I नियम 3 के तहत आने के लिए, राहत का अधिकार ऐसे व्यक्तियों में कथित रूप से मौजूद एक ही अधिनियम या लेनदेन से उत्पन्न होना चाहिए या उसके संबंध में होना चाहिए, संयुक्त रूप से, अलग-अलग या

वैकल्पिक रूप से। कुछ हद तक, आदेश I के नियम 1 और 3 कार्रवाई के कारण की समानता पर आधारित हैं। यही कारण है कि

आदेश I नियम के तहत स्पष्टीकरण और कार्रवाई के कारण की समानता से रुचि की समानता को अलग करता है।

21. चूँकि "ब्याज की समानता" आदेश I नियम 8 के तहत एक आवेदन के लिए पूर्व-आवश्यकता है, इसलिए सी. पी. सी. को ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड v की धारा 35 (1) (सी) के साथ पढ़ा जाता है।

अनिल कुमार

विरमानी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उत्तरदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि

उपभोक्ता शिकायत में पर्याप्त अभिकथन शामिल हैं जो ब्याज की समानता दिखाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है कि लगभग 20 खंडों (एम्बर और ब्लू खंडों में 7-7 खंड और क्रिमसन खंड में 6 खंड) वाले तीन खंडों में निर्मित आवासीय अपार्टमेंटों की कुल संख्या 1134 थी। जहाँ तक अंबर ब्लॉक के 7 खंडों में 386 आवासीय अपार्टमेंटों के खरीदारों का संबंध है, कोई दलील नहीं है। ब्लू ब्लॉक और क्रिमसन ब्लॉक में शेष 748 आवासीय अपार्टमेंट के मालिकों के संबंध में भी, शिकायत में ब्याज की समानता के बारे में कोई विशिष्ट कथन नहीं है। आवासीय अपार्टमेंट का कब्जा सौंपने में देरी ने बिल्डर पर मुकदमा

करने के लिए फ्लैटों के व्यक्तिगत खरीदारों के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है। लेकिन कार्रवाई के कारण की समानता ब्याज की समानता के बराबर नहीं है। अपीलकर्ता-निर्माता द्वारा ब्याज की समानता के अस्तित्व पर इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि समझौतों में निर्धारित मुआवजे में देरी की पेशकश खरीदारों को की गई थी और उनमें से कुछ ने बिना किसी आपत्ति या विरोध के इसे स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ अन्य ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उपभोक्ता की शिकायत से यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे (i) जिन्होंने मुआवजा स्वीकार किया है।

विरोध के तहत; (ii) जिन्होंने बिना विरोध के स्वीकार किया; और (iii) जिन्होंने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उनके पास ब्याज की समानता है। 22. परियोजना के पूरा होने और कब्जा सौंपने में देरी की अवधि, सभी 1134 में समान नहीं लगती है।

मामले। उत्तरदाता-शिकायतकर्ता उन खरीदारों के लिए ब्याज की समानता पेश नहीं कर सकते हैं जिनके मामले में देरी की अवधि नगण्य थी और जिनके मामलों में भारी देरी हुई थी। 23. हमें इस मुद्दे को खरीदारों के दृष्टिकोण से भी देखना पड़ सकता है। कब्जा सौंपने में देरी अनिवार्य रूप से अपीलार्थी-बिल्डर की ओर से सेवा में एकमात्र कमी नहीं होनी चाहिए। फ्लैटों के कुछ खरीदारों की अन्य शिकायतें भी हो सकती हैं और अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने के उनके अधिकार को धारा 35 (1) (सी) का आह्वान करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। कि कुछ खरीदारों ने कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण से संपर्क करने का विकल्प चुना है

अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को उजागर करने के आयोग से पता चलता है कि सभी 1134 खरीदारों का हित उत्तरदाताओं के समान नहीं है। कम से कम यदि उत्तरदाताओं ने उन सभी फ्लैटों के खरीदारों के नाम दिए हों, जिनकी ओर से वर्तमान शिकायत पर विचार किया जा सकता था, तो बेहतर होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. अध्यक्ष, तमिलनाडु में इस न्यायालय के निर्णय पर, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा रिलायंस रखा जाता है। आवास बोर्ड, मद्रास बनाम। टी. एन. गणपति (ऊपर), इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि आदेश I नियम 8 का उद्देश्य उन प्रश्नों के निर्णय को सुविधाजनक बनाना है जिनमें बड़ी संख्या में लोग रुचि रखते हैं, सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिए बिना और इसलिए, प्रावधान को एक व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए जो इसके उद्देश्य को पूरा करेगी।

अधिनियमन। इस न्यायालय ने उक्त मामले में इंगित किया कि हालांकि आवास बोर्ड द्वारा भूखंडों के आवंटनकर्ताओं में से प्रत्येक बोर्ड द्वारा अलग से की गई या की जाने वाली मांग से लड़ने में व्यक्तिगत रूप से रुचि रख सकता है, लेकिन यह आदेश I नियम 8 को लागू नहीं करेगा।

25. लेकिन तमिलनाडु आवास बोर्ड (ऊपर) में उपरोक्त निर्णय

प्रत्यर्थियों द्वारा दो कारणों से सेवा में नहीं दबाया जा सकता है, अर्थात् (i) उस मामले में एक प्रतिनिधि मुकदमे में जिस पर सवाल उठाया गया था, वह आवास बोर्ड द्वारा सभी आबंटियों पर समान रूप से की जाने वाली अतिरिक्त मांग थी, जो राशि से अधिक थी।

अस्थायी मूल्य मूल रूप से निर्धारित किया गया था; और (ii) किसी भी मामले में इस न्यायालय ने निर्णय की प्रयोज्यता को केवल कम आय वर्ग के उन आबंटियों तक सीमित कर दिया। इसलिए, ब्याज की समानता का परीक्षण इस आधार पर किया जाना चाहिए

दावा की गई नक्काशी की प्रकृति और ब्याज की समानता को इंगित करने वाली दलीलें। 26. रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अन्य। बनाम द्वारकाधीश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और Ors.[3], यह न्यायालय एक

मामला जहां 19 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा दायर एक शिकायत, जिसे एक समूह आवास परियोजना में आवासीय अपार्टमेंट आवंटित किया गया था, राष्ट्रीय आयोग द्वारा 1986 अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत एक उचित आवेदन के अभाव में खारिज कर दिया गया था [2019 अधिनियम की धारा 35 (1) (सी) के बराबर]। अभिव्यक्ति की परिभाषा का उल्लेख करने के बाद

" शिकायतकर्ता "1986 अधिनियम की धारा 2 (1) (बी) (iv) और 1986 अधिनियम की धारा 13 (6) की आवश्यकता में, इस न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। राष्ट्रीय आयोग ने शिकायत को विचारणीय नहीं माना है। इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1986 के अधिनियम की धारा 13 (6) में निर्धारित आदेश I नियम 8 की आवश्यकता को 1986 के अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) में पढ़ा जाना चाहिए।

27. अंजुम हुसैन और ओआरएस में। बनाम इंटेलिसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड और Ors.4, इस न्यायालय ने इस निर्णय को उलट दिया

3 3 (2019) 2 एससीसी 417

4 (2019) 6 एस. सी. सी. 519 ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड v. अनिल कुमार विरमानी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

राष्ट्रीय आयोग, जिसने 1986 के अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 12 (1) (सी) का उद्देश्य कार्यवाही की बहुलता को कम करना है और इसलिए, उसे प्राप्त करना चाहिए।

एक व्याख्या जो इसके अधिनियमन के उद्देश्य को कम करेगी।

28. विक्रांत सिंह मलिक और ओआरएस में। बनाम सुपरटेक लिमिटेड

और ओआरएस। (ऊपर), इस न्यायालय ने राष्ट्रीय आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने 1986 के अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उपभोक्ता शिकायत में राहत के लिए अनुरोध किया गया था। केवल 26 शिकायतकर्ताओं तक सीमित और यहां तक कि तैयार किए गए और तैयार किए गए अभिवचनों ने उन 26 शिकायतकर्ताओं की केवल विशिष्ट शिकायतों को उजागर किया।

29. उपरोक्त सभी निर्णयों से पता चलता है कि आवेदन की अनुमति देने के लिए

1986 के अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) या 2019 के अधिनियम की धारा 35 (1) (सी) के तहत दलीलों और राहतों पर विचार किया जाना है। अगर ऐसा माना जाए तो,

राष्ट्रीय आयोग अनुमति नहीं दे सकता था

इस मामले में उत्तरदाताओं को सभी 1134 फ्लैटों के मालिकों के लिए और उनकी ओर से प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज करनी होगी।

30. यह हमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत के भाग्य के बारे में अगले प्रश्न पर ले जाता है। यह तर्क दिया जाना चाहिए कि एक बार धारा 35 (1) (सी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, शिकायत को भी जाना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक उपभोक्ता तब तक शिकायत दर्ज नहीं कर सकते जब तक कि वे शब्द की परिभाषा के भीतर नहीं आते हैं।

" शिकायतकर्ता "और आदेश I नियम 8 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 38 (11) की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

31. यह सच है कि "शिकायतकर्ता" शब्द की परिभाषा थोड़ी भ्रामक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (5) इस प्रकार है:

" (5) " शिकायतकर्ता का अर्थ है

((i)

उपभोक्ता; या

इसके तहत पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ

((ख)

तत्काल प्रवृत्त कोई विधि; या

((ग) केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार; या

2 ((iv) केंद्रीय प्राधिकरण; या

(v)

एक या अधिक उपभोक्ता, जहां कई हैं समान ब्याज रखने वाले उपभोक्ता; या [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

i) उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी

प्रतिनिधि; या

(ii) उपभोक्ता के नाबालिग होने के मामले में, उसके माता-पिता या कानूनी

संरक्षक;

2. धारा 38 (11) निम्नानुसार है:

" 38. शिकायत स्वीकार करने की प्रक्रिया।

(11) जहाँ शिकायतकर्ता एक उपभोक्ता है जिसका उल्लेख किया गया है धारा 2 के खंड (5) के उपखंड (v) के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची का आदेश I नियम 8 इस संशोधन के अधीन लागू होगा कि उसमें प्रत्येक संदर्भ किसी वाद या डिक्री के लिए है। किसी शिकायत के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा या

उस पर जिला आयोग का आदेश।

3. धारा 35 (1) निम्नानुसार है:

" 35. जिस तरीके से शिकायत की जाएगी। - (1) बेचे गए या वितरित किए गए किसी भी माल के संबंध में शिकायत या

बेचे जाने या वितरित किए जाने या प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए सहमत या

प्रदान करने के लिए सहमत, एक जिले के साथ दायर किया जा सकता है

आयोग द्वारा

((क) उपभोक्ता,

((i) जिसे ऐसी वस्तुएँ बेची या वितरित की जाती हैं या बेचने या वितरित करने के लिए सहमत होती हैं या ऐसी सेवा प्रदान की जाती है या

प्रदान करने के लिए सहमत; या

((ii) जो इस संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाता है।

माल या सेवा;

(ख) कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, चाहे -

उपभोक्ता जिसे ऐसी वस्तुएँ बेची जाती हैं या वितरित की जाती हैं या बेचने या वितरित करने के लिए सहमत होती हैं या ऐसी सेवा प्रदान की जाती है या प्रदान करने के लिए सहमत होती है, या जो ऐसी वस्तु या सेवा के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाता है, वह ऐसे संघ का सदस्य है या नहीं;

(ग) एक या एक से अधिक उपभोक्ता, जहां समान हित रखने वाले कई उपभोक्ता हैं, जिला आयोग की अनुमति से, उनकी ओर से या उनके लिए

सभी इच्छुक उपभोक्ताओं का लाभ; या BRIGADE ENTERPRISES LIMITED v.

अनिल कुमार विरमानी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

((घ) केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य

सरकार, जैसा भी मामला हो सकता है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत शिकायत हो सकती है

इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस तरह से दाखिल किया जाए जो निर्धारित किया जाए।

34. उपरोक्त प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलेगा कि

इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि जहाँ भी अधिक हैं

एक से अधिक उपभोक्ता, उन्हें केवल आदेश I नियम 8 का सहारा लेना चाहिए सी. पी. सी., भले ही शिकायत मामले में रुचि रखने वाले सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए न हो। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ केवल ए

बहुत कम उपभोक्ताओं की रुचि एक जैसी होती है और बहुत से उपभोक्ताओं की नहीं। इन कुछ उपभोक्ताओं को शामिल होने से रोकने के लिए अधिनियम में कुछ भी नहीं है

एक साथ और एक संयुक्त शिकायत दर्ज करना। एक संयुक्त शिकायत इसके विपरीत है।

एक प्रतिनिधि क्षमता में दायर की गई शिकायत के लिए। आकर्षित करने के लिए धारा 35 (1) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत कई लोगों की ओर से या उनके लाभ के लिए होनी चाहिए।

समान रुचि रखने वाले उपभोक्ता। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कहाँ हैं केवल बहुत कम उपभोक्ता जिनके पास समान ब्याज है, वे भी नहीं कर सकते हैं

एक साथ जुड़ें और एक ही शिकायत दर्ज करें, लेकिन केवल स्वतंत्र और अलग-अलग शिकायतों का सहारा लेना चाहिए।

35. यह सच है कि धारा 2 (5) (i) "एक उपभोक्ता" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। यदि धारा 2 (5) (i) में स्वर "ए" और "उपभोक्ता" शब्द दिखाई देते हैं।

एक से अधिक व्यक्तियों को बाहर करने के लिए समझा जाना चाहिए, इसके परिणामस्वरूप एक धारा 2 (5) (vi) को पढ़ते समय विनाशकारी परिणाम। धारा 2 (5) (vi) में कहा गया है कि उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी

प्रतिनिधि "एक शिकायतकर्ता होगा। जब तक कि "कानूनी उत्तराधिकारी" शब्द न हों।

और "कानूनी प्रतिनिधि" का अर्थ 'कानूनी उत्तराधिकारी' समझा जाता है और ' कानूनी प्रतिनिधियों के लिए, प्रावधान का एक सार्थक अध्ययन नहीं हो सकता है

वहाँ।

और विनियम, जब तक कि विषय में कुछ भी अप्रिय न हो या संदर्भ। हम विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय नहीं पढ़ सकते हैं

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (5) या 35 (1) (सी) या 38 (11) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एकवचन में शब्द, अर्थात् "उपभोक्ता" में बहुवचन शामिल नहीं होगा। 37. उदाहरण के लिए हम एक ऐसे मामले को ले सकते हैं जहां एक आवासीय अपार्टमेंट पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से या माता-पिता और बच्चे [2021] द्वारा खरीदा जाता है।

एक साथ। यदि उन्हें बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत है, तो वे दोनों संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराने के हकदार हैं। ऐसी शिकायत धारा 35 (1) (सी) के तहत नहीं आती है, बल्कि धारा 35 (1) (ए) के तहत आती है। ऐसी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों को धारा 2 (5) (i) से इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है कि यह किसी एक उपभोक्ता द्वारा नहीं है। धारा 38 (11) के साथ पठित आदेश I नियम 8

सी. पी. सी. के आवेदन को आकर्षित करने वाली धारा 2 (5) (वी) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा इसे एक के रूप में भी नहीं माना जा सकता है।

38. इसलिए, धारा 2 (5) के साथ पठित धारा 35 (1) की व्याख्या करने का उचित तरीका यह कहना होगा कि शिकायत दर्ज की जा सकती है: (i) एकल उपभोक्ता द्वारा; (ii) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा; (iii) एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से, अन्य उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किए बिना अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए, जिनका समान हित हो या न हो; (iv) कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा; और (v) केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा।

39. यह याद रखना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान धारा 100 के आधार पर तत्काल लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं और उनका अपमान नहीं करते हैं। यहां तक कि धारा 38 जो शिकायत की जांच के लिए आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है, सी. पी. सी. के प्रावधानों के आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करती है। यद्यपि धारा 38 की उप-धाराएँ (9), (11) और (12) सिविल प्रक्रिया संहिता के केवल कुछ प्रावधानों के लिए विशिष्ट संदर्भ देती हैं, आदेश I नियम 1 के पीछे का सिद्धांत

एक से अधिक व्यक्तियों को वादी के रूप में मुकदमे में शामिल होने के लिए सक्षम बनाना स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं है।

40. इसलिए, हमारा विचार है कि हालांकि राष्ट्रीय आयोग इस मामले में गलत था, लेकिन आदेश I नियम 8 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 35 (1) (सी) के तहत आवेदन की अनुमति देने में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्यर्थियों द्वारा दायर शिकायत को ही खारिज किया जा सकता है। उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत को एक संयुक्त शिकायत के रूप में माना जा सकता है न कि 1134 खरीदारों की ओर से एक प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत के रूप में। अन्य फ्लैटों के खरीदार, जैसे कि इसमें हस्तक्षेप करने वाले, यदि वे चाहें तो उपभोक्ता शिकायत में पक्षकार के रूप में शामिल हो सकते हैं। वास्तव में, हस्तक्षेप करने वालों द्वारा यह कहा गया है कि विवादित आदेश के अनुसार,

विज्ञापन जारी किए गए थे और हस्तक्षेप करने वालों ने पहले ही राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अभियोग आवेदन दायर कर दिया है। उन्हें फंसाने का अधिकार है।

ब्रैगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड v. अनिल कुमार विरमानी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

41. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति है, आक्षेपित

राष्ट्रीय आयोग के आदेश को इस प्रभाव से संशोधित किया गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई शिकायत को केवल उत्तरदाताओं की ओर से दायर की गई एक संयुक्त शिकायत के रूप में माना जाएगा, न कि सभी की ओर से या उनके लाभ के लिए प्रतिनिधि क्षमता में दायर की गई शिकायत के रूप में।

सभी 1134 फ्लैटों के मालिक। जो व्यक्ति उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत में खुद को पक्षकार के रूप में शामिल करना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय आयोग द्वारा ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि उनकी शिकायत भी उत्तरदाताओं द्वारा उनकी उपभोक्ता शिकायत में पेश की गई शिकायत तक सीमित हो। इसमें हस्तक्षेप करने वालों को, उनके आवेदन में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता शिकायत में शामिल होने की भी अनुमति दी जाएगी। हस्तक्षेप अनुप्रयोग को उपरोक्त दिशा के साथ बंद कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। देविका गुजराल

अपील

की अनुमति दी गई।